



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738
Fax: +91-135-2769738
email:
eepmgsydehradun@rediffmail.com

पत्रांक 349 / पी.एम.जी.एस.वाई. / सिं.ख.-दे.दून / वन भूमि

दिनांक 20/05/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी, उत्तराखण्ड।

विषय:- जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लोगाड़) से नालीकंला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-11.425) के नव निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (FP/UK/ROAD/13657/2015 DTD 02-07-2015)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4297/12-1 दिनांक 08.05.2020, पत्रांक-4244/12-1, दिनांक-04.05.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-259/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/दे0-दून0/ वनभूमि, दिनांक-19.03.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं विषय का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना/आपत्तियों का निराकरण कर ऑनलाईन कर दिया गया है तथा आफलाईन (तीन मूल/सत्यापित प्रतियों में) आख्या सहित, संलग्नक कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि प्रभाग स्तर से प्रकरण में शीघ्र अतिशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- 1. आपत्तियों का बिन्दुवार आख्या।
2. आपलोड किये हुए संगत दस्तावेजों की हार्ड प्रति तीन प्रतियों में।

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड
6-इन्दिरा नगर, देहरादून

पत्रांक 349 / पी.एम.जी.एस.वाई. / सिं.ख.-दे.दून / वन भूमि / तदिनांक

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता-प्रथम, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि वन भूमि के प्रस्तावों को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग मसूरी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही इस कार्यालय को सूचित करने एवं साप्ताहिक प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें।

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड
6-इन्दिरा नगर, देहरादून

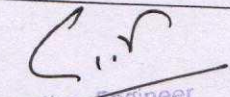
Proposal N0-FP/UK/ROAD/13675/2015

Construction of Sahastradhara (Karligard)-Naliwala Motor Road (length 11.425 km)

क्रम सं०	वन विभाग द्वारा लगाई गई आपत्तियां	निराकरण
1	आनलाईन आपत्ति सं०-1,2 एवं 3 के अनुपालन में क्रमशः टाईम लाइन प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र दिनांक-102/2020 एवं ऑथराइजेशन पत्र की प्रति चस्पा/सलग्न नहीं है। कृपया पूर्ण औचित्य के साथ वांछित दस्तावेजों को आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में यथास्थान अपलोड करते हुए संगत दस्तावेजों की मूल प्रति इस कार्यालय को समुहर हस्ताक्षर के उपलब्ध करायी जाये।	आनलाईन आपत्ति सं०-1,2 एवं 3 के अनुपालन में क्रमशः टाईम लाइन प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र दिनांक-102/2020 एवं ऑथराइजेशन पत्र की प्रति चस्पा/सलग्न कर दिया गया है तथा वांछित दस्तावेजों को आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
2	आनलाईन आपत्ति सं०-5 के अनुपालन में cost benefit analysis uploaded in old format. It is mentioned in the letter that cost benefit analysis has been uploaded new format but the same is still in old format. State government may upload cost benefit analysis in new format के अन्तर्गत Tabel-A चस्पा/सलग्न नहीं है। कृपया वांछित दस्तावेज/ cost benefit analysis को आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में यथास्थान अपलोड करते हुए संगत दस्तावेज की मूल प्रति इस कार्यालय को समुहर हस्ताक्षर के उपलब्ध करायी जाये। cost benefit analysis के अन्तर्गत Tabel-A की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।	Cost Benefit analysis is already uploaded in new format. Format A and Hard copy attached.
3	आनलाईन आपत्ति सं०-11 में उल्लेख है कि "As per DSS analysis 3 ha area found in VDF and 14 ha in MDF proposed in degraded forest area. State government may change the CA area with some other area suitable for plantation having no MDF & VDF के क्रम में भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि में (3.0014.0) है० कुल 17.00 है० में नये क्षेत्र /क्षेत्रों का चयन किये जाने के निर्देश प्राप्त है। अतः इस सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी मसूरी से अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को सम्पर्क हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे, ताकि नये क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र/क्षेत्रों के गूगल मानचित्र, डिजिटल मानचित्र एवं जियो रिफरेंस मानचित्रों की तीन-तीन प्रति प्रयोक्ता एजेन्सी के माध्यम से तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध की जा सके।	आपत्ति का निराकरण वन विभाग स्तर से निस्तारण किया जा रहा है।


AAE


Assistant Engineer-I
P.M.G.S.Y.L.D. Dehradun


Executive Engineer
PMGSY ID,
Dehradun (Uttarakhand)

4	आनलाईन आपत्ति सं०-17 में उल्लिखित कमशः बिन्दु c,e,f,h,i,j,k एवं m आदि दस्तावेजों की प्रति चस्ता/संलग्न नहीं है। कृपया पूर्ण औचित्य के साथ वाछित दस्तावेजों को ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में यथास्थान अपलोड करते हुए संगत दस्तावेजों की मूल प्रतियां इस कार्यालय में समुहर हस्ताक्षर के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जायें।	सभी दस्तावेजों की सत्यापति प्रति चस्था/संलग्न कर दी गई है तथा वाछित दस्तावेजों को आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में यथास्थान पूर्ण में अपलोड कर दिया गया था।
---	--	--

[Signature]
20/05/2020
IAAE

[Signature]
Assistant Engineer-I.
P.M.G.S.Y.L.D. Dehradun

[Signature]
Executive Engineer
PMGSY ID,
Dehradun (Uttarakhand)